कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0)

(Email-dcourtgun-mp@nic.in)

जिला न्यायालय भवन परिसर, गुना में वाहन स्टेण्ड संचालन करने हेतु निविदा प्रलेख

जिला न्यायालय भवन परिसर, गुना में एक वर्ष की अवधि (19.09.2026 से 18.09.2027 तक) के लिए वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम **दिनांक 30.07.2026** निर्धारित की गई हैं। प्राप्त समस्त निविदायें **दिनांक—04.08.2026** को खोली जावेगी।

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी/शर्तें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाईट https://mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय गुना के सूचना पटल एवं वेबसाईट https://guna.dcourts.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

कृते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

:: वाहन स्टेण्ड संचालन करने संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्तें ::

1. वाहन स्टेण्ड हेतु निविदा आवेदन निविदाकर्ता द्वारा विज्ञप्ति की समस्त शर्तों का पालन करते हुए निविदा फार्म सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्र्ड पोस्ट के माध्यम से निविदा तिथि के अंतिम दिन तक आवश्यक रूप से कार्यालय—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना, म.प्र. में प्रेषित करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले सीलबंद लिफाफो पर विचार नहीं किया जावेगा। व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय **प्रारूप—ए** पर निविदा की दरें उल्लेखित की जावेगी। साथ ही उक्त दर पर ट्रांसपरेंट टेप चस्पा किया जाना होगा।
3. वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित वार्षिक अनुबंध की न्यूनतम दर पूर्व न्यूनतम दर 3,35,000/— से 5 प्रतिशत अधिक **3,51,750/— रुपये** होगी। जिसे निविदाकर्ता द्वारा Bid में अधिकतम वार्षिक अनुबंध दर निविदा में अंकित किया जावेगा उसकी निविदा स्वीकृत की जावेंगी।
4. निविदा फार्म के साथ रुपये **10,000/—** का **बैंक ड्राफ्ट** अर्नेस्ट मनी के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना के नाम से जमा करनी होगी, जो कि निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापसी योग्य होगी। निविदा स्वीकृति

उपरांत टेण्डर की शर्तो के अनुसार अनुबंध–पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में **अर्नेस्ट मनी** बिना सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा नए टेण्डर प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि वसूली की जाएगी।

5. वाहन स्टेण्ड हेतु बतौर सुरक्षा निधि निर्धारित **रू. 50,000/–** की एफ.डी.आर., **"प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना"** के नाम से न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि हेतु एफ.डी.आर. आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी। जो निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

6. निविदा अवधि एक वर्ष की होगी। निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा संविदा की अवधि उसी दर पर या नवीनीकृत बढ़ी हुई दर पर 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

7. वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा **एक वर्ष के लिये** दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुये निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना का निर्णय अंतिम होगा।

8. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी, उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तों की पूर्ति करते हुये रुपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। साथ ही अनुमति दिए जाने उपरांत **दिनांक 19.09.2026** से कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा उनकी सुरक्षा निधि जब्त कर ली जावेगी।

9. सफल निविदाकर्ता को वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित निविदा राशि का भुगतान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना के हक में **चार किस्तों में जमा** करानी होगी। **प्रथम किश्त** अनुबंध के तत्काल पश्चात् एवं शेष **प्रत्येक 3 –3 माह** की अवधि में जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में लाईसेंस फीस की राशि जमा न करने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर पार्किंग स्टेण्ड का कब्जा बिना किसी सूचना के प्राप्त कर लिया जावेगा।

10. वाहन स्टेण्ड का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी/गुमास्ता अधिकारी (नगर पालिक परिषद) से नियमानुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

11. वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किए जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक अनुबंध राशि के मासिक मान से वर्तमान वाहन स्टेण्ड संचालक को वाहन स्टेण्ड का संचालन करना होगा।

12. वाहन स्टेण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 10:00 से सायं 06:30 बजे तक किया जावेगा। साथ ही समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

13. सायकल/दोपहिया वाहन/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :–

ए–	सायकल	–	रु. 5/–	प्रतिदिन
			अथवा रु. 100/–	प्रतिमाह
बी–	दोपहिया वाहन	–	रु. 10/–	प्रतिदिन
			अथवा रु. 200/–	प्रतिमाह
सी–	चार पहिया वाहन	–	रु. 20/–	प्रतिदिन
	एवं अन्य		अथवा रु. 400/–	प्रतिमाह

14. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क सूची (कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त) आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावेगी एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से पार्किंग शुल्क लिया जावे, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

15. निविदाकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में निर्धारित दरों से अधिक वाहन पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा। आमजन को वाहन पार्किंग किए जाने के संबंध में प्रिंटेड रसीद प्रदान करना होगा, जिस पर वाहन पार्किंग का शुल्क एवं वाहन क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा अथवा निविदाकर्मा टोकन पद्धति से भी वाहन पार्किंग संचालन कर सकेगा, जिस पर वाहन पार्किंग का शुल्क अंकित होगा।

16. वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कम से कम 2 कर्मचारी संचालक नियोजित करना होगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। कर्मचारियों को संचालक पहचान–पत्र जारी करेगा, जो कर्मचारी द्वारा पार्किंग स्टेण्ड संचालन अवधि में धारित किए रहेंगे। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हो, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

17. वाहन स्टेण्ड हेतु आवंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आवंटित नहीं करेगा। वाहन हेतु आवंटित स्थान पर वाहन सुव्यवस्थित रूप से रखेंगे। ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो।

18. वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का निर्माण/संरचना नहीं करेंगे।

19. वाहन स्टेण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो।

20— वाहन स्टेण्ड हेतु आवंटित स्थान को सदा स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं प्रदूषण मुक्त रखा जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्थल की नियमित सफाई एवं रख–रखाव सुनिश्चित किया जावेगा। पार्किंग स्टेण्ड परिसर में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर या ऑडियो सिस्टम का उपयोग बिना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के नहीं किया जावेगा तथा न्यायालय की गरिमा एवं शासकीय सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचने का सुनिश्चित करना होगा।

21. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्टेण्ड में आने व जाने वाले वाहनों का रिकॉर्ड रखने हेतु पृथक से रजिस्टर संधारित किया जावेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी/प्रमुख द्वारा उक्त रजिस्टर का निरीक्षण किए जाने पर निविदाकर्ता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

22. वाहन के चोरी चले जाने या नष्ट कर दिए जाने की दशा में ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

23. वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की शर्त का उल्लंघन हो।

24. न्यायिक अधिकारीगण,कर्मचारीगण, अभिभाषकगण एवं अन्य शासकीय विभाग के कर्मचारियों एवं विकलांगों को वाहन स्टेण्ड पर अपने वाहनों को निःशुल्क रखने की पात्रता होगा।

25. कर्मचारीगण उनके वाहन कर्मचारियों हेतु आरक्षित पार्किंग स्थल पर रखेंगे तथा अधिवक्तागण अपने वाहन अधिवक्तागण हेतु आरक्षित पार्किंग स्थल पर रखेंगे।

26. नगर पालिका परिषद गुना अथवा अन्य कर जो पार्किंग स्टेण्ड संचालन हेतु दिया जाना है, का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।

27. यदि निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क वसूला जाता है, तो यह अनुबंध की गंभीर अवहेलना मानी जाएगी तथा शर्त क्रमांक 31 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"

28. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत टेण्डर अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में संपूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर ली जाएगी।

29. निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा बिना किसी सूचना के निविदा/अनुबंध समाप्त किए जाने का अधिकार होगा।

30. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को यह अधिकार होगा कि स्टेण्ड संचालन हेतु दिया गया लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दें और उस दशा में ऐसे आवंटितों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन स्टेण्ड का संचालन अविलम्ब बंद करना होगा अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन स्टेण्ड संचालन को बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा लें। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा।

31. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्त का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि जब्त कर ली जावेगी अथवा उसमें पेनेल्टी स्वरूप युक्तियुक्त रकम काटी जावेगी।

32. ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के निर्णय के विरूद्ध किसी आपत्ति का अंतिम निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना द्वारा किया जावेगा तथा उनका निर्णय अंतिम व सभी पक्षों पर बंधनकारी रहेगा।

33. दीर्घ अवधि तक बिना दावे के खड़े पाए गए अथवा संदिग्ध वाहन की सूचना तत्काल संबंधित थाना एवं न्यायालय अधीक्षक अथवा जिला नाजिर को दी जाएगी।

33. निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों के अंतर्गत एनेक्सर "ए" में वांछित दस्तावेज, बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. संलग्न न किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

34. प्राप्त सभी निविदायें **दिनांक 04.08.2026 को सायं 05:00 बजे** प्रशासनिक समिति, जिला न्यायालय गुना के अध्यक्ष आर.के. जैन, विशेष न्यायाधीश गुना के विश्राम कक्ष में निविदाकर्तागण/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी और निविदा में बताई गई दरें बोली जाएगी।

मध्यस्थत्ता :–

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तों अथवा कार्य निष्पादन की विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं, विवादों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0)

(Email-dcourtgun-mp@nic.in)

(टेण्डर डाक्यूमेंट)

01. जिला न्यायालय भवन परिसर में 01 वर्ष की अवधि हेतु वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रं.	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा निविदा के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक विवरण
1.	कार्य का नाम	जिला न्यायालय भवन परिसर में 01 वर्ष की अवधि हेतु वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा
2.	कार्य अवधि	01 वर्ष (19.09.2026 से 18.09.2027 तक)
3.	अर्नेस्ट/सुरक्षा निधि राशि	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना के नाम से देय रुपये 50,000/— की एफ.डी.आर.।
4.	निविदा लायसेंस राशि	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना के हक में **चार किस्तों में जमा** करानी होगी। **प्रथम किश्त** अनुबंध के तत्काल पश्चात् एवं शेष **प्रत्येक 3 —3 माह** की अवधि में जमा करानी होगी। **कुल राशि 3,51,750/— रुपये** उक्त राशि न्यूनतम अनुबंध दर है, जिससे उच्चतम अनुबंध दर की निविदाएं विचारणीय होगी।

02— माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाईट https://mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय गुना के सूचना पटल एवं वेबसाईट https://guna.dcourts.gov.in से निविदा प्रलेख डाउनलोड किया जा सकेगा। निविदाकर्ता द्वारा टेण्डर फार्म शुल्क रुपये **1,000/— (अवापसी योग्य नहीं) का बैंक ड्राफ्ट** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा

03. निविदाकर्ता को नियत प्रारूप पर टेण्डर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना को संबोधित करते हुए सील बंद लिफाफे में दिनांक 30.07.2026 तक रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करेंगे।

04. सीलबंद टेण्डर डाक के माध्यम से नियत समयावधि में टेण्डर बॉक्स में **"जिला न्यायालय परिसर गुना में वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु जारी विज्ञप्ति"** का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत कर सकेंगे।

05. निविदाएं दिनांक 04.08.2026 को सायं 05:00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष या उनके अधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

06. निर्धारित समयावधि उपरांत निविदा प्राप्त होने पर उन पर विचार नहीं किया जावेगा।

कृते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0)

(Email-dcourtgun-mp@nic.in)

जिला न्यायालय भवन परिसर गुना में 01 वर्ष (19.09.2026 से 18.09.2027 तक) की अवधि हेतु वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा

एनेक्जर—''ए''

कोटेशन फार्म

01.	निविदाकर्ता का नाम	
02.	निविदाकर्ता का पता	
03.	फर्म की प्रकृति/पार्टी (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाए)	प्रोप्रायटरशीप/पार्टनरशीट/प्रायवेट लिमिटेड/पब्लिक
04.	प्रोप्रायटर का नाम/मेनेजिंग पार्टनर/मेनेजिंग डायरेक्टर	
05.	कांटेक्ट डिटेल	फोन — मोबाईन — ई—मेल —
06	पेन	
07	पंजीयन क्रमांक, यदि कोई हो तो	
08	**EMD (Earnest Money Deposit)** विवरण	अ. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक — ब. बैंक का नाम — स. बैंक ड्राफ्ट की दिनांक — द. राशि : ₹10,000/-
09	**FDR (Security Deposit)** **(₹50,000)** ₹50,000/— की सुरक्षा निधि (FDR) केवल सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन के समय प्रस्तुत की जाएगी।	अ. **FDR** क्रमांक — ब. बैंका का नाम — स. **FDR** जारी करने की दिनांक — द. **FDR** की अवधि — ई. राशि : ₹50,000/-

10. अनुभव विवरण, (यदि कोई हो तो संलग्न किया जावें)

क्रं.	संस्था/विभाग का नाम, जहां पर पार्किंग स्टेण्ड संचालित है/था।	अनुबंध की अवधि	उक्त संस्था शासकीय/स्वशासी /प्रायवेट	कार्य किए जाने का संतुष्टि प्रतिवेदन हॉ/नहीं

11. पार्किंग स्टेण्ड हेतु प्रीमियत राशि की दर–

विवरण	दर (रुपए में)
जिला न्यायालय भवन परिसर गुना में पार्किंग स्टेण्ड संचालित किए जाने हेतु प्रस्तावित अनुबंध दर (रुपये **3,51,750/–** **न्यूनतम अनुबंध दर है।**)	अंकों में – शब्दों में –

हस्ताक्षर–.....

नाम–.....

पता–.....

.....

.....